

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस  
मुकदमा नम्बर 13/2025

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।  
बनाम

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ अग्रवाल, मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, पुरानी  
सब्जी मण्डी, सिंघाना, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थिति:-

1. आवेदक की ओर से .....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से .....अनावेदक स्वयं।

-निर्णय-

दिनांक : 28-2-25

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है:- कि आवेदक श्री महेन्द्र महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आवंटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 25.10.2024 को मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, पुरानी सब्जी मण्डी, सिंघाना, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ अग्रवाल उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनावेदक ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुन्झुनू



निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान के काउन्टर में 2 एल्युमिनियम की ट्रे में करीबन 10 किग्रा पेड़ा (मावा मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) के सबस्टैण्डर्ड फूड (Sub-Standard and the sample also food containing extraneous matter (foreign fag) under section 3(1)(i)) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी पुरानी सब्जी मण्डी, सिंघाना, जिला झुन्झुनू में मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) का सैम्पल लिया गया था जो कि सब-स्टैण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाया गया है। अनावेदक ने कथन किया कि वह आगे से अच्छी क्वालिटी के पेड़ा (मावा मिठाई) का बेचान करेगा तथा अपनी दुकान में साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखेगा। अतः उसके विरुद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को खारिज किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

सन्तान

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./4637/एक्ट/2024/4704 दिनांक 26.11.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) सब-स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard and the sample also food containing extraneous matter (foreign fag) under section 3(1)(i)) पाया गया है। जो एफ. एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक उक्त खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) अपनी दुकान में स्वयं तैयार कर बेचान करता है। तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) सब-स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ अग्रवाल, मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, पुरानी सब्जी मण्डी, सिंघाना, जिला झुंझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 1,00,000/-अक्षरे एक लाख रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू।